(9)

VR-14510
21/01
6/8/04

भारत सरकार मुद्रणालय.....1960
से दिनांक.....को प्राप्त।
28-4-04
प्रभारी

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P.O.-350
Lm. 30
Dup. 100
CPB-220
6

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2004/चैत्र 27, 1926
No. 188] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2004/CHAITRA 27, 1926

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 265(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्धारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील करने के लिए अपील प्राधिकारी विहित करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपील प्राधिकारी को अपील, नियम, 2004 है।

 (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक के संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

 (क) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

 (ख) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

 (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम, 2003 में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

3. **अपील प्राधिकारी.**—धारा 127 के अधीन अपील के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को, जो उक्त सरकार का राजपत्रित अधिकारी है या जिला न्यायाधीश या उसके समकक्ष पंक्ति का रहा हो, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित कर सकेगी।

[फा. सं. 23/63/2003-आर एण्ड आर]

अजय शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2004

G.S.R. 265(E).—In exercise of the powers conferred by clause (u) of Sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) the Central Government hereby makes the following rules prescribing the appellate authority for

preferring appeal against the orders of the assessing officer, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Appeal to the Appellate Authority Rules, 2004.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules unless the context otherwise requires,—

 (a) "Act" means the Electricity Act, 2003;

 (b) "section" means a section of the Act.

 (2) Words and expression used and not defined in these rules but defined in the Act, 2003 shall have the meanings respectively assigned to them in Act.

3. **Appellate Authority.**—For the purposes of appeal under Section 127, the State Government may designate by notification published in the Official Gazette, a person who is a Gazetted Officer of the said Government or has been a District Judge or officer of equivalent rank, as appellate authority.

[F. No. 23/63/2003-R&R]

AJAY SHANKAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.